मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

भाग–2

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	सूचना का अधिकार, विभाग द्वारा अंगीकरण	
2.	मैनुअल –5 : अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
3.	स्वजल परियोजना से सम्बन्धित शासनादेश	
4.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण की दिशा निर्देशिका	

अध्याय–5

विभाग का नाम –पेयजल विभाग,स्वजल परियोजना देहरादून, उत्तराखण्ड

लोक प्राधिकारी/निदेशालय– परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विभाग द्वारा अंगीकरण

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक अधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुॅच सुनिश्चित करने के लिये आम नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून के विभागीय मैनुअल में अंगीकृत किया जाता है।

धाराः– (4) (1) । अभिलेखों का रख–रखाव/कम्प्यूटरीकृत करना

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून (विभाग का नाम, के अधीनस्थ लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची बनाकर क्रमवार इस तरह से रखेंगे जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार आम नागरिकों को सुलभ हो सके एवं ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं। युक्तिसंगत समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत किये जायेंगे. जिससे ऐसे अभिलेखों को आम नागरिक की पहुॅच हेतु सुलभ बनाया जा सके।

धारा**:-** 4 (1) **B** (2 3 एवं 4)

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून तथा अधीनस्थ लोक प्राधिकारी 17 बिन्दुओं पर स्वतः ही (SuoMoto) सूचना प्रकट करने के लिये बाध्य होगा। इन मैनुअलों के बिन्दुओं को बिन्दुवार तैयार कर सूचना अधिकर अधिनियम की भावनाओं के अनुरूप तैयार कर अपनी WEBSITE and NIC WEBSITE में उपलब्ध करायेंगे तथा इन मैनुअलों को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अद्यतनीकरण करते रहेंगे. मैनुअलों के बिन्दु नम्बर 5 जिसमें परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून कि सम्बन्धित सभी नियम, अधिनियम, अनुदेशों को संकलित कर उनमें विभागीय मैनुअल जोड़कर सभी अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों की सुविधा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

धारा:- 5

विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभाग ने आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी नामित कर दिये हैं, जिनकी निर्देशिका तैयार कर सभी अधीनस्त लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर रखी जायेगी, तथा उसकी अद्यतनीकरण प्रति आयोग को उपलब्ध करनी होगी।

धारा:- 6 (1)

इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को सूचना उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 165/मु0/XXXI (13) दिनांक 31.03.2006 के अनुसार रूपये 10 का आवेदन शुल्क प्राप्त कर सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी (धारा 8 के प्राविधानों को छोड़ते हुए) गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सूचना के इच्छुक नागरिकों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

धारा:- 7

धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक या धारा 6 की उपधारा 3 के परन्तुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर विभाग द्वारा आम नागरिक को सूचना देने की कार्यवाही विभाग के नामित लोक सूचना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

धारा:- 8 सूचना प्राप्त किये जाने की छूट

इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के सम्बन्ध को संज्ञान में लेंगे।

धारा:- कतिपय मामलों पहुंच के अस्वीकृत के आधार

धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति विभागीय लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहॉ अस्वीकार कर सकेगा, जहॉ पहुंच उपलब्ध कराने के लिये ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति अस्तित्वयुक्त प्रतिलिपिताधिकार का उल्लंघन होता हो।

धारा 11

तीसरे पक्षकार का आशय सूचना मांगने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से है तो ऐसे मामलों में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पॉच दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देने के लिये विभागीय लोक सूचना अधिकारी बाध्य होंगे।

धारा 19 (1)

विभागीय अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील करने पर सुनवाई करेगा।

सूचना पटट को लगाना

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत समस्त विभागीय लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना पटट लगाये जायेंगे, जिनमें लोक सूचना अधिकारी तथा सम्बन्धित अधिकारी का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

विभाग आयोग की मदद से सूचना के अधिनियम की जानकारी मास्टर ट्रेनर द्वारा तैयार करायेगा, जो विभागीय लोक सूचना अधिकारियों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिनियम की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम तैयार करेंगे।

विभाग समस्त लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर रसीद संख्या 385 की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा– परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना देहरादून –1, रजिस्टर्ड संस्था है तथा संस्था द्वारा सीधे तौर पर कोषागार से किसी भी प्रकार का लेन–देन नहीं होता है अतः सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ली जाने वाली रू0 10–/ की धनराशि परियोजना की प्रचलित रसीद पर सूचना प्राप्तकर्ता को दी जायेगी। तत्पश्चात ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दी जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 146/सू0/ग्ग्ग् दिनांक 22 मार्च 2006 का अनुपालन करते हुये सभी प्रपत्रों का रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

विभाग अपने विभागीय मैनुअल को सचिवालय प्रशासन की मदद लेकर तैयार करायेंगे।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग को उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पॉच बिन्दुओं पर मासिक प्रतिवेदन लोक सूचना अधिकारी से संकलित कर उपलब्ध करायेंगे।

विभाग हर वर्ष लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा का प्राविधान करेगा।

विभाग अपने विभाग की मासिक बैठकों में त्ज् से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं को समीक्षा बैठक में परिपालन हेतु अपना भाग बनायेगा।

विभाग के उच्च अधिकारी अपने निरीक्षण के समय विभागीय निरीक्षण के साथ त्ज् से सम्बन्धित अभिलेखों का भी निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट का भाग बनायेंगे।

विभाग आयोग स्तर पर होने वाली बैठकों के बारे में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सुझाव एवं कठिनाइयों के बारे में अवगत करायेंगे।

नियम, विनियम और अनुदेश

1. पी.एम.यू. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था है इसलिए उस अधिनियम के प्रावधान पी.एम.यू. पर लागू होते है।
2. उत्तराखण्ड षासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश सभी सार्वजनिक एजेन्सियों और स्वजल परियोजना के अधीन अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए उसके कर्मचारियों पर भी लागू होता है।
3. Financial Hand-Book के विभिन्न प्रावधान पीएमयू पर भी लागू होते है। परियोजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिए गए प्रावधान आदि दिशा–निर्देशों का इस परियोजना अनुपालन किया जाता है।
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा हैं। इन दिशा–निर्देशों में सम्मिलित है, चुनाव की प्रक्रिया, सामान्य विचारनीय बाते, पात्रता, अग्रीम ठेका और पश्चात् लिये वित्त प्रधान परामर्शो में सहयोग, बैंक समीक्षा, सहायता और मूल्यांकन, सामान मंगाने की योजना, गुणवत्ता और लागत आधारित चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया, शर्ते, लागत, अनुमान (बजट), विज्ञापन, परामर्शकों की छोटी सूची, प्रस्तावों की प्रार्थना की तैयारी और उन्हें जारी करना, निमन्त्रण पत्र, परामर्शकों को अनुदेश, ठेका, प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रस्तावों का मूल्यांकन, गुणवत्ता और लगात पर विचार गुणवत्ता का मूल्यांकन, लागत का मूल्यांकन, गुणवत्ता और लागत का सम्मिलित मूल्यांकन, मोलभाव और ठेके लिए जाना, चुनाव की अन्य रीतियां, सामान्य गुण आधारित चुनाव, निश्चित बजट में चुनाव, निम्नतम लागत चुनाव परामर्षकों की योग्यता पर आधारित चुनाव एकल स्रोत चुनाव, विशेष प्रकार के परामर्शकों का चुनाव, ठेको के प्रकार और महतवपूर्ण प्रावधान, ठेको के प्रकार, व्यक्तिगत परामर्शकों का चुनाव, बैंक द्वारा समीक्षा आदि विस्तार से दिये गये हैं। आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए. उधार के अधीन सामान मंगाने की दिशा–निर्देश।
5. इन दिशा–निर्देशों का प्रयोजन उन लोगों को जानकारी देना है जो परियोजना चला रहे हैं। जिसे वित्त पूर्णतः या अषंतः उस ऋण से लिया जाता है जो किसी अन्तर्राश्ट्रीय बैंक से पुनर्निमाण और विकास के लिए मिले अथवा उधार या अनुदान से जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नितियों के अनुसार हो जो परियोजना सामान मंगाने कार्यो और सेवाओं (परामर्षकों की सेवाओं के अतिरिक्त) को शासीत करती है। इसमें सामान्य विचार, दिशा–निर्देशों का लागू होना पात्रता अग्रिम ठेका और पश्चात वित्त देना, संयुक्त उद्यम, बैंक समीक्ष, बैंको से सन्दर्भ सामान मंगाने की योजना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली लगाना, ठेको का प्रकार और आकार, दो चरणें में बोली लगाना, विज्ञप्ति और बोली लगाने वालों विज्ञापन जिसमें योग्यता, बोली देनी के प्रलेख, बोली प्रलेखों की स्पष्टता, मानक, बैंक नामों का उपयोग, मूल्य लगाना, मूल्यों की गड़बड़ करना, परिवहन और बीमा, मुद्रा के प्रावधान, बोली की मुद्रा, बोली की तुलना करने को मुद्रा परिवर्तन, भुगतान की मुद्रा, भुगतान की शर्तें और रीतियां, वैकल्पिक बोली, ठेके की शर्तें, सक्रियता की सुरक्षा, घटायी हुई हानियों और बोनस आदि लागू होते है। कानून और झगड़ों का निपटारा, बोलियां खोलना, मूल्यांकन और ठेके देना, बोलियां तैयारी का समय, बोलियां खोलने की प्रक्रिया, बोली का स्पश्टीकरण या परिवर्तन, गोपनीयता बोलियों की जांच, बोलियों का मूल्यांकन और तुलना, घरेलू वरियतायें, बोली की वैद्यता का विस्तार, बोली देने वालों की उत्तर योग्यता, ठेके दिये जाना, ठेके देने का प्रकाशन, सभी बोलियों रद्द करना,

समझाना, संशोधीत आई.सी.पी., प्रचालन जिनमें आयात कार्यक्रम वस्तुओं का मंगाना आ जाता है, सामान मंगाने की अन्य रीतियां, समिति अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाना, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली लगाना, खरीदारी, सीधे ठेके देना, लेखा, संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से समान मंगाना, समान मंगाने के अभिकर्ता, निरिक्षण अभिकर्ता वित्तिय बिचौलियों के ऋण से सामान मंगाना, बी.ओ.ओ./ बी.ओ.टी./ बी.ओ.ओ.टी. के अधीन सामान मंगाना, रियायते और उन जैसा नीजि सेक्टर प्रबन्ध, सक्रियत आधारित सामान मंगाना, बैंक से गारंटी मिले ऋण के अधीन सामान मंगाना, सामान मंगाने में समुदाय की भागीदारी सामान मंगाने के फेसलों की बैंक द्वारा समीक्षा, सामान मंगाने का अनुसूचिकरण, पुर्वसमीक्षा, उत्तरसमीक्षा, अनुकथन, घरेलू वरियतायें, स्वदेश मे बने माल को वरियता, स्वदेशी ठेकेदारों की वरियता, बोली देने वालों के निर्देश, सामान मंगाने का उत्तरदायित्व, बैंक की भूमिका, बोली देने की जानकारी, बोली देने वालों की भूमिका गोपनियता, बैंक का कार्य, समझाना। विश्व बैंक की दिशा निर्देश, विश्व बैंक की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

6. भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), के क्रियान्वयन के लिए दिए गए विभिन्न दिशा–निर्देशेां का पी.एम. यू. के अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है।

स्वजल परियोजना से सम्बन्धित शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	शासनादेश संख्याः 588/56–3–घ(1/24)/77 दिनांकः 06 मार्च, 1979	**विषयः–**राज्य सरकार के सदस्यों के रूप में मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/विधान परिषद के सभापति/उप–सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में।	1–6
2.	संख्या वी–3–6234/दस–89–4(1)/89–कम्प्यूटर दिनांकः 07 दिसम्बर, 1989	**विषयः–**राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम के सम्बन्ध में।	7–13
3.	संख्याः 6756(1)/38–6–94 दिनांकः 17 नवम्बर, 1994	**विषयः–**प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट तथा अन्य प्रोजेक्ट सेलों के अधीन कार्यरत/तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो का निर्धारण विषयक।	14–19
4.	No./Q/FD/695/1/90 Dated: 11th November, 1996	**Subject:-**Daily Allowance Rates.	20–24
5.	No.Q/FD/695/1/90 Dated: 04th July, 1997	**Subject:-** Daily Allowance Rates.	25
6.	No.Q/FD/695/1/90 Dated:11th August, 1997	**Subject:-** ADDENDUM, Daily Allowance Rates.	26
7.	No.Q/FD/695/1/98 Dated: 15th September, 1998	**Subject:-**CORRIGENDUM, Daily Allowance Rates.	27
8.	No.Q/FD/696/1/90 Dated: 06th January, 1999	**Subject:-**ADDENDUM, Daily Allowance Rates.	28
9.	संख्याः–जी–1–374(1)/दस–99–203/99 दिनांकः 03 जून, 1999	**विषयः–**सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविधालयों आदि में सरकारी कर्मचारियों की बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	29–30
10.	संख्याःसा–4–392/दस–99–203/86 दिनांकः 04 जून, 1999	**विषयः–**अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि के सम्बन्ध में।	31–32
11.	संख्या–जी–1–375(1)/दस–99–203/99 दिनांकः 10 जून, 1999	**विषयः–**नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरों के सम्बन्ध में।	33–34
12.	संख्याः सा–4–395/दस–99– 600/99 दिनांकः 11 जून, 1999	**विषयः–**यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	35–41
13.	संख्याःजी–1–373/दस–99–205–99 दिनांकः 11 जून, 1999	**विषयः–**वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	42–44

14.	संख्याः सा–4–395/दस–99 –600/99 दिनांकः 11 जून, 1999	**विषयः**–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	45–51
15.	संख्याः जी–1–373(1)/दस – 99–205–99 दिनांकः 11 जून, 1999	**विषयः**–वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	52–56
16.	संख्याः–सा–4–395/दस–99–600–99 दिनांकः 11 जून, 1999	**विषयः**–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	57–60
17.	No.Q/FD/695/1/90 Dated: 28th March, 2000	**Subject:-**ADDENDUM, Daily Allowance Rates.	61
18.	संख्याः1164/28–4–2000 दिनांकः 31 मई, 2000	**विषयः**–उत्तरांचल क्षेत्र के सीमान्त जनपदों मे सीमान्त विशेष भत्तों के सम्बन्ध में।	62–63
19.	No.Q/FD/695/3/2000 Dated: 01st December, 2000	**Subject:-**ORDER, Daily Allowance Rates.	64–66
20.	संख्याः132(1)/वि0अनु0–3/2001 दिनांकः 18 दिसम्बर, 2001	**विषयः**–प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों के मकान किराये भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	67–69
21.	पत्रांकः 2635/ई–2/2002 दिनांकः 27 मई, 2002	**विषयः**–परियोजना हित में मुख्यालय देहरादून के भ्रमण के दौरान अन्य व्यवस्था न होने की स्थिति में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	70–71
22.	No.29018/5/2001-AIS(II) Dated: 21st August, 2002	**Subject:-**Revised Standard Terms and condition for deputation of all India services officers in Public Sector Undertakings etc.	72–75
23.	संख्याः 639/वि0अनु03/2002 दिनांकः 18 दिसम्बर, 2002	**विषयः**–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महॅगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2002 से लागू दर के सम्बन्ध में।	76–78
24.	संख्याः 923/वि0अनु0–3/2003 दिनांकः 16 जून, 2003	**विषयः**–राज्य कर्मचारियेां और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महॅगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2003 से लागू दर के सम्बन्ध में।	79–80
25.	संख्याः 134/प्रोटोकाल–2/2003 दिनांकः 15 जुलाई, 2003	**विषयः**–संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में।	81–84
26.	संख्याः 1065/वि0अनु0–3/2003 दिनांकः 24 अक्टूबर, 2003	**विषयः**–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को	85–86

		महॅगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2003 से लागू दर के सम्बन्ध में।	
27.	संख्याः 1115/वि0अनु0–3/2003 दिनांकः 31 दिसम्बर, 2003	**विषयः–**सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुनःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	87–95
28.	फा0सं0: 105/1/2004–आई0सी0 दिनांकः 01 मार्च, 2004	**विषयः–**50 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन/पेंशन में दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से विलय के सम्बन्ध में।	96
29.	F.No.105/1/2004-IC Dated: 01st March, 2004	**Subject:-**Merger of 50% of Dearness allowance/dearness relief with basic pay/pension to central government employees/pensioners w.e.f. 01st April, 2004.	97
30.	संख्याः 1261/xxvii(3)म/2004 दिनांकः 07 जून, 2004	**विषयः–**राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महॅगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू दर के सम्बन्ध में।	98–99
31.	संख्याः 1267/xxvii(3)म–पें/2004 दिनांकः 09 जून, 2004	**विषयः–**राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन/पेंशन में दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत का मूल वेतन/पेंशन में विलय के सम्बन्ध में।	100–101
32.	संख्याः 1297/तीस–2/2004 दिनांकः 25 अगस्त, 2004	**विषयः–**लोक सेवकों द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता, समयबद्धता एवं शिष्टता के सम्बन्ध में।	102–103
33.	संख्याः 1136(1)/कृषि एवं जलागम/2003 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2004	**विषयः–**विश्व बैंक पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में प्रोत्साहन पैकेज के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	104–106
34.	संख्याः मु0सं0–169/उन्तीस/05–पे0/2005 दिनांकः मई, 2005	**विषयः–**सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल, धरना में भाग लेने के सम्बन्ध में।	107–109
35.	संख्याः मु0सं0189/XXIX/05/2005 दिनांकः 24 जून, 2005	**विषयः–**यात्रा भ्रमण के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	110–113
36.	संख्याः 613/मुख्य सचिव/2005 दिनांकः 30 जून, 2005	PM sets the deadline:- in line with the Prime Minister's direction for a system to "measure development outcomes", Finance Minister P. Chidambaram has prepared a timetable to ensure Budget outlays are translated into outcomes. This is his timetable. की प्रति को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	114–116

37.	संख्याः 239/उन्तीस(1)/05/2004 दिनांकः 07 जुलाई, 2005	**विषयः**—उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 2003 में वर्णित लघु शास्तियों में उल्लिखित शास्ति संख्या—3 के अन्तर्गत आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।	117—119
38.	संख्याः 2691/उन्तीस(1)/05/2004 दिनांकः 19 जुलाई, 2005	**विषयः**—अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण के सम्बन्ध में।	120—126
39.	संख्याः मु0सं0254/XXIX(1)/2005 दिनांकः 22 अक्टूबर, 2005	**विषयः**—मुख्य सचिव, महोदय द्वारा विशिष्ट बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में।	127—130
40.	संख्याः मु0सं006/उन्तीस (1)/2005 दिनांकः 06 फरवरी, 2006	**विषयः**—विदेश भ्रमण से सम्बन्धित निर्देशों के सम्बन्ध में।	131—189
41.	संख्याः 239/उन्तीस(1)06—2 (1पे0)/01 दिनांकः 10 मार्च, 2006	**विषयः**—परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों के संचालन हेतु सृजित पदों की 01 मार्च 2006 से 28 फरवरी, 2007 तक की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	190
42.	संख्याः 177/उन्तीस(2)/06/2005 दिनांकः 18 मार्च, 2006	**विषयः**—दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त में रेखांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।	191—218
43.	संख्याः 200/उन्तीस(1)/06—2(21अधि0)/05 दिनांकः 21 मार्च, 2006	**विषयः**—राज्य स्तरीय क्षमता विकास एवं सम्प्रेक्षण इकाई (सी0सी0डी0यू0) के संचालन हेतु सृजित पदों की 01 मार्च, 2006 से 28 फरवरी, 2007 तक की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	219
44.	संख्याः 239/उन्तीस(1)/06—2 (1पे0)/01 दिनांकः 27 मार्च, 2006	**विषयः**—परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना के अन्तर्गत 04 नई जनपदीय इकाईयों का सृजन के सम्बन्ध में।	220—222
45.	संख्याः मु0सं0—20/उन्तीस (2)/2006 दिनांकः 02 मई, 2006	विषयः—शासकीय कार्यहित में किये गये मोबाइल फोन के उपयोग के सम्बन्ध में।	223—224
46.	संख्याः 702/उन्तीस(1)/06(20पे0)/2001 दिनांकः 30 जून, 2006	**विषयः**—जनपद हरिद्वार में सैक्टर रिफोर्म पायलेट प्रोजैक्ट के संचालन हेतु गठित डी0डब्ल्यू0एस0एम0 के स्थान पर डी0पी0एम0यू0 हरिद्वार का गठन के सम्बन्ध में।	228—231
47.	संख्याः 601/उन्तीस(1)/06— (20पे0)/2001 दिनांकः	**विषयः**—जनपद हरिद्वार में सैक्टर रिफोर्म पायलेट प्रोजैक्ट के संचालन हेतु गठित	232—233

	30 जून, 2006	डी0डब्ल्यू0एस0एम0 के स्थान पर डी0पी0एम0यू0 हरिद्वार का गठन के सम्बन्ध में।	
48.	संख्याः 768/उन्तीस(1)/2006 दिनांकः 18 जुलाई, 2006	**विषयः**—दिनांक 26 जून, 2006 को मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को जारी किये जाने में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयां के निराकरण के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।	234—238
49.	संख्याः 502/XVII-90(II)/ 2004 दिनांकः 30 जुलाई, 2006	**विषयः**—श्रीमती विभापुरी दास, अध्यक्ष राज्य स्तरीय यौन उत्पीडन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 20 जुलाई, 2006 को आयोजित कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की विशेष बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।	239—241
50.	संख्याः 182/XXII/2005. 52 सूचना/2006 दिनांकः 01 अगस्त, 2006	**विषयः**—स्वतंत्रता दिवस समारोह—2006 के सम्बन्ध में।	242—244
51.	संख्याः 892/उन्तीस(1)/2006 दिनांकः 25 अगस्त, 2006	**विषयः**—सुशासन से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।	245—260
52.	संख्याः 1839/उन्तीस—(2)/2006 दिनांकः 25 अगस्त, 2006	**विषयः**—भारतीय मानक ब्यूरों के भूकम्प सम्बन्धी मानकों (Codes) को समस्त कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	261—270
53.	संख्याः 987/उन्तीस(1)/06/2005 दिनांकः 15 सितम्बर, 2006	**विषयः**—विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा के विवरण का रखरखाव के सम्बन्ध में।	271—275
54.	संख्याः 380/XXIX(1)/07-(01पे0)/2001 दिनांकः 16 अप्रैल, 2007	**विषयः**—उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर प्रोग्राम हेतु पूर्व स्वीकृत पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	276—280
55.	संख्याः 29/XXVII(7)/2007 दिनांकः 24 अप्रैल, 2007	**विषयः**—राज्य कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से भुगतान के सम्बन्ध में।	281—282
56.	संख्याः 183/उन्तीस(1)/07—2(21अधि0)/2005 टी0सी0 दिनांकः 07 मई, 2007	**विषयः**—राज्य स्तरीय क्षमता विकास एवं सम्प्रेषण इकाई (सी0सी0डी0यू0) के संचालन हेतु सृजित पदों की 01 मार्च, 2007 से 28 फरवरी, 2008 तक की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	283
57.	संख्याः574/उन्तीस(2)/07—2(01पे0)/2001 दिनांकः	**विषयः**—उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना में सृजित हायर्ड बेसिस के	284

	11 जून, 2007	पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।	
58.	संख्याः279(i)/XXVII(7)म0भ0 /2007 दिनांकः 01 अक्टूबर, 2007	**विषयः**—राज्य कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2007 के भुगतान के सम्बन्ध में।	285—286
59.	No.737/1-1-1/Estt./2007-08 Dated: 11th October, 2007	**Subject:-** Uttaranchal Parvatiya Aajeevika Sanvardhan Company, Uttarakhand, Advertisement For Vacancies.	287
60.	संख्याः324/XXVII(7)/बोनस /2007 दिनांकः 15 अक्टूबर, 2007	**विषयः**—वर्ष 2006—07 के लिये राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, को उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में।	288—290
61.	संख्याः 2252/उन्तीस(2)/ 07—(55पे0)/2003 दिनांकः 18 जनवरी, 2008	**विषयः**—वर्ष 2007—08 में स्वजल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 के संचालन पर होने वाले व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	291—292
62.	संख्याः243/उन्तीस(1)/ 08—(01पे0)/2001 दिनांकः 04 मार्च, 2008	**विषयः**—राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पदों का सृजन के सम्बन्ध में।	293—300
63.	संख्याः18/XXVII(7)/म0भ0 /2008 दिनांकः 21 मार्च, 2008	**विषयः**—राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2008 से भुगतान के सम्बन्ध में।	301—302
64.	संख्याः700/उन्तीस(1)/(32 अधि0)/2008 दिनांकः 23 जुलाई, 2008	**विषयः**—छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत मितव्ययता (Economy Measure) लिये जाने के सम्बन्ध में।	303—304
65.	संख्याः 363/उन्तीस(1)/ 08—(01पे0)/2001 दिनांकः 13 अगस्त, 2008	**विषयः**—राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं सैक्टर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत पदों का सृजन के सम्बन्ध में।	305
66.	संख्याः 299(1)XXVII(7) बोनस/2008 दिनांकः 22 सितम्बर, 2008	**विषयः**—तदर्थ बोनसः—राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2007—2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान के सम्बन्ध में।	306—309
67.	संख्याः 1218/उन्तीस(1) /08—(32अधि0)/2008 दिनांकः 27 नवम्बर, 2008	**विषयः**—पूर्व से केन्द्र सरकार से समकक्षता प्राप्त संवर्गो/पदों के वेतनमान पुनरीक्षण के प्रकरण वेतन समिति को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।	310—315

68.	संख्याः147 / उन्तीस(1) / 09(21अधि0) / 2005 टी0सी0 दिनांकः 20 फरवरी, 2009	**विषयः**—राज्य स्तरीय क्षमता विकास एवं सम्प्रेक्षण इकाई (सी0सी0डी0यू0) के संचालन हेतु सृजित पदों की 01 मार्च, 2009 से 28 फरवरी, 2010 तक की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	316
69.	संख्याः 212 / उन्तीस(1) / 09—(01पे0) / 2001 दिनांकः 19 मार्च, 2009	**विषयः**—राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पदों का सृजन के सम्बन्ध में।	317—322
70.	संख्याः 164/XXVII(7) म0भ0 / 2009 दिनांकः 26 अगस्त, 2009	**विषयः**—दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय / विश्वविधालय के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा में अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	323
71.	पत्र संख्याः 95/XXVII/(26) / 2009 दिनांकः 31 अगस्त, 2009	**विषयः**—विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागीय स्तर पर ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाना प्रशासकीय विभागों का दायित्व के सम्बन्ध में।	324—325
72.	संख्याः 308/XXVII(7)बोनस / 2009 दिनांकः 13 अक्टूबर, 2009	**विषयः**—तदर्थ बोनस—राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2008—2009 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान के सम्बन्ध में।	326—329
73.	संख्याः 299/XXVII(7) म0भ0 / 2009 दिनांकः 15 अक्टूबर, 2009	**विषयः**—दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकायों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	330—331
74.	संख्याः 1106 / उन्तीस(2) / 09—2(29पे0) / 2009 दिनांकः 05 जनवरी, 2010	**विषयः**—संचार एवं क्षमता विकास इकाई के लिये वित्तीय वर्ष 2009—10 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	332—333
75.	संख्याः 257 / उन्तीस(1) / 2010—(42अधि0) / 2005 दिनांकः 17 मार्च, 2010	**विषयः**—यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	334—335
76.	संख्याः 309 / उन्तीस(1) / 09—(01पे0) / 2001 दिनांकः 29 मार्च, 2010	**विषयः**—राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत	336—341

		पदों का सृजन के सम्बन्ध में।	
77.	संख्याः 652/XXVII(7) म0भ0/2010 दिनांकः 20 अगस्त, 2010	**विषयः—**01 जनवरी, 2010 से अपुररीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	342—343
78.	संख्याः 112/उन्तीस(1)/2011—(21अधि0)/05 टी0सी0 दिनांकः 09 फरवरी, 2011	**विषयः—** राज्य स्तरीय क्षमता विकास एवं सम्प्रेक्षण इकाई (सी0सी0डी0यू0) के संचालन हेतु सृजित पदों की 01 मार्च, 2011 से 28 फरवरी, 2012 तक निरन्तरता के सम्बन्ध में।	344
79.	संख्याः 98/उन्तीस(1)/11—1(01पे0)/2001 दिनांकः 17 फरवरी, 2011	**विषयः—**राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पदों का सृजित पदो ंके निरन्तरता के सम्बन्ध में।	345—348
80.	संख्याः 316/उन्तीस(1)/2011—(01पे0)/2001 दिनांकः 26 अप्रैल, 2011	**विषयः—**राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में सृजित प्रतिनियुक्ति के पदों को वैकल्पिक श्रोतों से भरने हेतु शासनादेश में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	349—350

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण की दिशा निर्देशिका

swachhbharatmission.ddws.gov.in/sites/default/files/Guidelines/SBMG Phase-II Operational Guidelines.pdf